फर्द अहकाम

जयपुर नगर निगम बनाम निम्स यूनिवर्सिटी

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 50/2024 (टी.आर्क)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/4/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आर्क. हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा आज की अवकाश चल रहा है। गत आदेशानुसार बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदत्त किया जा चुका है। अतः न्यायहित व हरिशंकर अंतिम अवसर (पुनः) इस निर्देश के अधीन दिया जाता है कि आगामी तारीख पर आवश्यक रूप से बहस नहीं होने पर अवसर बहस स्वतः ही बन्द माना जाकर प्रार्थनापत्र टी.आर्क. का तथ्यों के हरिशंकर उचित निस्तारण न्यायालय निर्देशानुसार किया जावेगा। पत्रावली पाक्षिक बहस प्रार्थनापत्र टी.आर्क. दिनांक 28/04/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	28/4/25	आज दिनांक 28/4/25 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। टी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/व्यस्त रहे। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/4/25 को पेश हों।
	30/04/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आर्क. पर सुनी गई। मूलवाद साफ्यवारी की प्रक्रिया में लिप्त है। वादी द्वारा स्वयं की प्रचलित अभिलेख एवं खातेदारी की भूमि की सीमाओं की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पक्षकारान में विवाद व वाद बकाया है।

फर्द अहकाम

जयपुर नगर निगम बनाम निम्स यूनिवर्सिटी

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 50/2024 (टी.आर्क)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/4/25	हरिशंकर उपखण्ड अधिकारी की भूमियों के विधिवत विधिक सीमांकन व पत्थरगढ़ी व अभाव में पक्षों की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में अविधिक हस्तक्षेप व दखलंदाजी एवं निर्माण का अनुतोष मांगा चाहा गया है तथा विधिक सीमांकन व पत्थरगढ़ी होने तक पक्षों की यथास्थिति का अनुतोष चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में मूलवादी व साफ्यवादी की प्रक्रिया में लिप्त है। अतः वाद बकाया व न्यायहित व हरिशंकर पूर्व अंतिम अवसर निर्देशानुसार आदेश दिनांक 02/12/24 को तात्कालिक मूलवाद स्थाई किया जाकर उपखण्ड अधिकारी को वाद अधीन भूमि आ.क्र.सं. 205/200 कुल रकबा बिघा कुल रकबा 1.1468 है. वाके ग्राम चक जदीद नगर तह आमेर जिला जयपुर की मौके की यथास्थिति तथा उपर्युक्त पक्षों की उक्त भूमि की सीमाओं में किसी प्रकार की अविधिक दखलंदाजी व हस्तक्षेप ना करने बाबत पाबंद किया गया है। निर्णय सुरक्षित रखा। पत्रावली प्रकरण शुमार होकर यदि नाबद के क्रम हो बाबतअग्रिम आदेश पश्चात दिया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.05.22 14:53:48 IST
Reason: SelfAttested